

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय :- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48 (नगर विकास एवं आवास विभाग), मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0008-एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, विपत्र कोड-48-2217-05-001-0008 के अन्तर्गत बकाया वेतनादि / मानदेय एवं अन्य विषय शीर्षों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति सहित कुल राशि ₹० 8464891.00 (चौरासी लाख चौसठ हजार आठ सौ इक्यानवे रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48 (नगर विकास एवं आवास विभाग), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0008-एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, विपत्र कोड- कोड-48-2217-05-001-0008 के अन्तर्गत बकाया वेतनादि/ मानदेय एवं अन्य विषय शीर्षों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति सहित ₹०8464891.00 (चौरासी लाख चौसठ हजार आठ सौ इक्यानवे रुपये) मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	0008. 01.01 वेतन	0008. 01.03 जीवन यापन भत्ता	0008. 01.04 मकान किराया भत्ता	0008. 01.05 परिवहन भत्ता	0008. 01.06 चिकित्सा भत्ता	0008. 14.01 किराया महसूल एवं कर	0008. 13.01 कार्यालय व्यय	0008. 13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0008. 06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0008. 11.01 यात्रा व्यय	0008. 28.02 संविदा सेवाएँ	कुल राशि (3 से 13 तक का जोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कार्यपालक अभियंता, नगर विकास गुण-नियंत्रण प्रमंडल, पूर्णियाँ।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681161.00	0.00	0.00	681161.00
2	अधीक्षक अभियंता, नगर विकास अंचल यांत्रिक, पटना।	0.00	38928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38928.00
3	मुख्य अभियंता, का कार्यालय, आधारभूत संरचना एवं परिवहन (उत्तर बिहार उपभाग)।	1815557.00	743766.00	270621.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2847944.00
4	कार्यपालक अभियंता, नगर विकास गुण-नियंत्रण प्रमंडल, पटना।	361600.00	216960.00	72320.00	19200.00	2000.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	832080.00

5	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नगर विकास गुण-नियंत्रण प्रमंडल, सारण, छपरा।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371220.00	371220.00
6	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नगर विकास प्रमंडल, जहानाबाद-अरवल।	1725600.00	924928.00	153520.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2814048.00
7	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नगर विकास प्रमंडल, समस्तीपुर।	515381.00	46384.00	41230.00	0.00	4065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607060.00
8	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नगर विकास प्रमंडल, सिवान-गोपालगंज, सिवान।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	170000.00
9	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नगर विकास प्रमंडल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	0.00	22450.00	0.00	102450.00
	कुल	4418138.00	1970966.00	537691.00	19200.00	24065.00	0.00	20000.00	400000.00	681161.00	22450.00	371220.00	8464891.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि रु०8464891.00 (चौरासी लाख चौसठ हजार आठ सौ इक्यानवे रूपये)

मात्र ।

2. उपर्युक्त तालिका में स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के बकाये राशि के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होकर राशि का भुगतान किया जायेगा। यह राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

3. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालयों के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता होंगे, जिनके द्वारा संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि की निकासी की जायेगी। साथ ही निकासी के समय यह सुनिश्चित हो ले कि AG के प्राधिकार पत्र से मिलान कर ली गई है।

5. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०-48-2217-05-001-0008 मांग सं०-48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/समूह का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति e-संचिका संख्या- BN/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT के Note No.-21 पर दिनांक-05.06.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note No.- 25 पर दिनांक-09.06.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

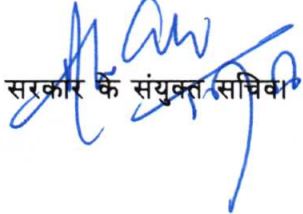
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-BN/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT/ 54 न०वि०एवं आ० वि०/पटना, दिनांक- 10/06/26

प्रतिलिपि:-वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई-मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।


सरकार के संयुक्त सचिव।